भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

त्रैमासिक

ई-समाचार पत्र

(अक्टूबर–दिसंबर) 2025

इस अंक में..

अध्यक्ष की कलम से	03
गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	05
• परामर्श पत्र	06
• अनुशंसाएं, विनियम एवं निर्देश	07
• ओपन हाउस चर्चा	09
• निर्देश	10
• विभिन्न आयोजनों में भादूविप्रा	11
• अंतर राष्ट्रीय / राष्ट्रीय	12
• ड्राइव टेस्ट	14
• उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम	16
• न्यायिक निर्णय / विधिक अद्यतन	18
• सार्वजनिक परामर्शी सूचना	20
• अभिदाता आधार	21
• क्षमता निर्माण	22
• मानव संसाधन (एच.आर. कॉर्नर)	25
• अन्य गतिविधियाँ	28
	30

अध्यक्ष की कलम से

श्री अनिल कुमार लाहोटी
त्रैमासिक समीक्षा:
अक्टूबर–दिसंबर 2025

भारत में सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर एक मूलभूत आधार के रूप में कार्य कर रही है। शिक्षा, वित्त, अवसंरचना अथवा प्रसारण—सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय नेटवर्क तक पहुँच अब अनिवार्य हो चुकी है। इस तिमाही के दौरान भादूविप्रा का ध्यान कनेक्टिविटी के प्रति भरोसे को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा, ताकि यह न केवल उपलब्ध हो, बल्कि मापनीय, विश्वसनीय और अनुकूलनीय भी हो।

इसी दिशा में डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग (डीसीआर) फ्रेमवर्क को क्रियान्वित किया गया। अब तक 20 रेटिंग एजेंसियों को पंजीकृत किया जा चुका है, परिचालन मैनुअल पहले से ही उपलब्ध है, तथा डीसीआर लोगो डिज़ाइन बनाने के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यह फ्रेमवर्क अवसंरचना की उपलब्धता, नेटवर्क कार्य-निष्पादन और उपयोगकर्ता अनुभव के आधार पर किसी संपत्ति की डिजिटल तत्परता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

भादूविप्रा ने डिजिटल संचार में विश्वास को बढ़ाने हेतु निर्देश भी जारी किए। इनमें एसएमएस वेरिएबल्स की अनिवार्य प्री-टैगिंग तथा बीएफएसआई संस्थाओं के लिए '1600' नंबर श्रृंखला के त्वरित उपयोग से संबंधित उपाय शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) को कम करना और विशेष रूप से बैंकिंग एवं बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ट्रेसबिलिटी को सुदृढ़ करना है।

तेरह शहरों एवं राजमार्ग मार्गों को कवर करते हुए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट आयोजित किए गए, जिनमें रुड़की से रींगस तथा बरपेटा से भोपाल तक के स्थान शामिल थे। इन परीक्षणों के माध्यम से सिग्नल स्ट्रेंथ, लेटेंसी और कॉल ड्रॉप रेट जैसे नेटवर्क कार्य-निष्पादन संकेतकों को रिकॉर्ड किया गया, ताकि सेवा उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को डेटा सशक्तिकरण एवं संरक्षण संरचना (डीईपीए) पर आधारित डेटा साझाकरण एवं सहमति प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करने की अनुशंसा भी की। यह फ्रेमवर्क अभिदाता केवाईसी डेटा के सहमति-आधारित साझाकरण अथवा सत्यापन को सक्षम बनाएगा, जिसमें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया भी शामिल है।

उपभोक्ताओं के साथ सहभागिता की गतिविधियाँ अनंतपुर, वोखा, पासीघाट और उदयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन से अधिक उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों (सीओपी) के माध्यम से जारी रहीं। इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर में आयोजित आईटीयू–भादूविप्रा कार्यशाला में 39 देशों की सहभागिता देखने को मिली, जो भारत की विनियामक प्रथाओं में निरंतर वैश्विक रुचि को प्रतिबिंबित करती है।

भादूविप्रा ने डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं, जिनमें निजी संस्थाओं को मौजूदा एफ.एम. फ़्रीक्वेंसी पर सिमुलकास्ट के माध्यम से डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी अपनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे एक ही फ़्रीक्वेंसी पर एनालॉग सेवाओं के साथ-साथ अनेक डिजिटल और डेटा चैनलों का प्रसारण संभव होगा, जिससे ऑडियो गुणवत्ता तथा चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

भादूविप्रा ने 6 गीगाहर्ट्ज़ (निम्न), 7 गीगाहर्ट्ज़, 13 गीगाहर्ट्ज़, 15 गीगाहर्ट्ज़, 18 गीगाहर्ट्ज़, 21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, ई-बैंड तथा वी-बैंड के लिए बैकहॉल स्पेक्ट्रम के आबंटन से संबंधित नीतिगत ढांचे को सक्षम बनाने हेतु अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया। इन अनुशंसाओं के माध्यम से बैकहॉल स्पेक्ट्रम शुल्क ढांचे का व्यापक पुनर्गठन एवं युक्तिकरण भी किया गया है।

नवंबर 2025 तक भारत में ब्रॉडबैंड अभिदाताओं की संख्या लगभग एक अरब तक पहुँच गई थी। इसी माह में 14.69 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए। ये आंकड़े उपभोक्ताओं की बढ़ती सहभागिता तथा सेवा गुणवत्ता और विकल्पों की बढ़ती मांग को दर्शाते हैं।

वर्ष 2026 में प्रवेश करते हुए, भादूविप्रा का ध्यान कनेक्टिविटी, मैसेजिंग, मैपिंग तथा स्पेक्ट्रम जैसे क्षेत्रों में पारदर्शी, स्केलेबल और दूरदर्शी विनियामक प्रणालियों के विकास पर केंद्रित रहेगा।

गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

परामर्श पत्र

1. दूरसंचार (आई.एम.टी.) के लिए चिन्हित फ़्रीक्वेंसी बैंडों में रेडियो फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर भादूविप्रा का परामर्श पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 30 सितंबर 2025 को 'दूरसंचार (आई.एम.टी.) के लिए चिन्हित फ़्रीक्वेंसी बैंडों में रेडियो फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। प्रारंभ में हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी लिखित टिप्पणियाँ 28 अक्टूबर 2025 तक तथा प्रतिटिप्पणियाँ 11 नवम्बर 2025 तक प्रस्तुत करें। तथापि, हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2025 तक तथा प्रतिटिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 नवम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई।

https://www.trai.gov.in/release-publication/consultation

2. इंटरकनेक्शन से संबंधित मौजूदा भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा पर परामर्श पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 10 नवम्बर 2025 को इंटरकनेक्शन से संबंधित मौजूदा विनियमों की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ 8 दिसम्बर 2025 तक तथा प्रतिटिप्पणियाँ 22 दिसम्बर 2025 तक आमंत्रित की गई थीं। तथापि, हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2025 तथा प्रतिटिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर 2025 कर दी गई।

इस परामर्श का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं के मध्य इंटरकनेक्टिविटी से संबंधित शर्तों को निर्धारित करना, तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित करना तथा दूरसंचार क्षेत्र के विकसित होते परिदृश्य से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। यह समीक्षा इंटरकनेक्शन से संबंधित वर्तमान सभी नौ विनियमों को सम्मिलित करती है, जिसका लक्ष्य एक ऐसा सुदृढ़ ढांचा स्थापित करना है जो दूरसंचार क्षेत्र में वर्तमान तथा भावी तकनीकी प्रगति के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर सके।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.130of2025.pdf

3. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 22 सितंबर 2025 को हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई थी। तथापि, कुछ हितधारकों द्वारा समय-विस्तार के लिए किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 कर दी गई।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No._105_of_2025.pdf.pdf

4. भादूविप्रा द्वारा लेखा पृथक्करण विनियमों तथा दूरसंचार टैरिफ आदेश के प्रावधानों में मसौदा संशोधन जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने निम्नलिखित मसौदा संशोधन जारी किए हैं:

(i) **दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025** का मसौदा

(ii) **लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2025** का मसौदा

प्रस्तावित संशोधनों में विनियामक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय हतोत्साहन (फाइनेंशियल डिसइन्सेन्टिव) लगाए जाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिनमें— (i) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रमिक (ग्रेडेड) रूप में वित्तीय हतोत्साहन का प्रावधान; (ii) वित्तीय हतोत्साहन की राशि में संशोधन करते हुए कुल वित्तीय हतोत्साहन राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना; तथा (iii) वित्तीय हतोत्साहन के विलंबित अथवा गैर-भुगतान की स्थिति में ब्याज लगाए जाने का प्रावधान शामिल है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.110of2025.pdf

5. दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025 के मसौदे तथा लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विस्तार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 16 अक्टूबर 2025 को 'दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025' का मसौदा तथा 'लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2025' का मसौदा जारी किया था। हितधारकों द्वारा अधिक समय की मांग किए जाने के दृष्टिगत, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 नवम्बर 2025 कर दी गई।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.126of2025.pdf

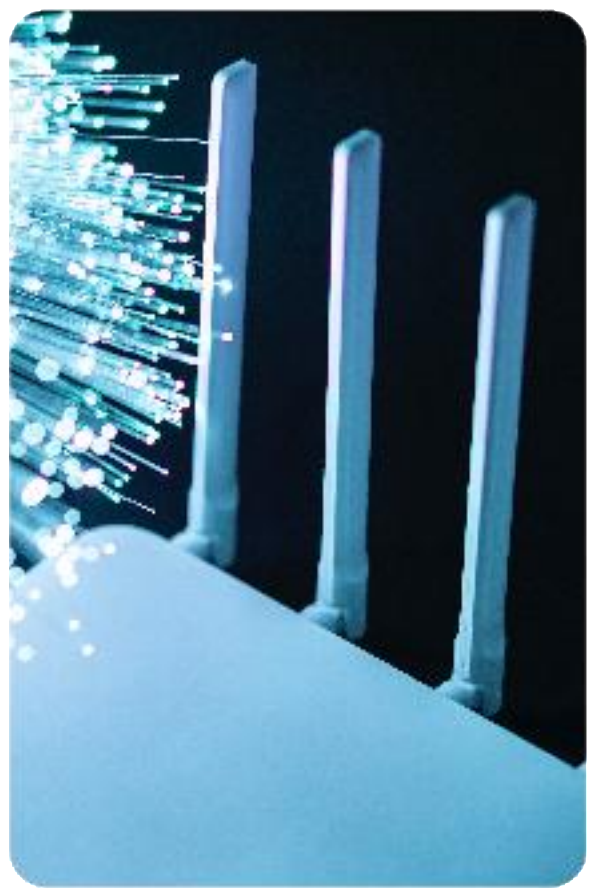

अनुशंसाएं

1. निजी प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के निर्माण पर अनुशंसाएं

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति से संबंधित अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं। इन अनुशंसाओं में डिजिटल सेवाओं के लिए शर्तें तथा आरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जो 'A+' श्रेणी के चार शहरों—दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई—तथा 'A' श्रेणी के नौ शहरों—हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर—पर लागू होंगे। ये अनुशंसाएं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) के अनुरोध के उपरांत तथा निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति पर 30 सितंबर 2024 को जारी किए गए परामर्श पत्र के आधार पर तैयार की गई हैं, जिसके माध्यम से हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। इस परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 43 टिप्पणियाँ तथा 13 प्रतिटिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इसके पश्चात, भादूविप्रा द्वारा 8 जनवरी 2025 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

इन अनुशंसाओं का प्रमुख लाभ यह है कि सिमुलकास्ट मोड में एक ही स्पॉट फ्रीक्वेंसी पर, एक एनालॉग चैनल के अतिरिक्त, तीन डिजिटल चैनलों तथा एक डेटा चैनल का प्रसारण संभव हो सकेगा। डिजिटल रेडियो चैनल में उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो उपलब्ध कराई जाती है, जबकि एनालॉग मोड में कैरियर फ्रीक्वेंसी पर केवल एक ही चैनल का प्रसारण संभव होता है। प्रतिस्पर्धी परिवेश में डिजिटल रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारकों के लिए नए अवसर प्रदान करने के साथ-साथ श्रोताओं को बहुविध श्रवण विकल्प तथा मूल्यवर्धित सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.102of2025.pdf

2. 6 गीगाहर्ट्ज़ (निम्न), 7 गीगाहर्ट्ज़, 13 गीगाहर्ट्ज़, 15 गीगाहर्ट्ज़, 18 गीगाहर्ट्ज़, 21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, ई-बैंड तथा वी-बैंड में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आबंटन पर अनुशंसाएं

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 6 गीगाहर्ट्ज़ (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज़, 13 गीगाहर्ट्ज़, 15 गीगाहर्ट्ज़, 18 गीगाहर्ट्ज़, 21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, ई-बैंड तथा वी-बैंड में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आबंटन पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने भादूविप्रा से ई-बैंड एवं वी-बैंड; तथा मौजूदा फ्रीक्वेंसी बैंडों अर्थात् 6 गीगाहर्ट्ज़ (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज़, 13 गीगाहर्ट्ज़, 15 गीगाहर्ट्ज़, 18 गीगाहर्ट्ज़ और 21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में माइक्रोवेव एक्सेस (एम.डब्ल्यू.ए) एवं माइक्रोवेव बैकबोन (एम.डब्ल्यू.बी.) स्पेक्ट्रम के आबंटन पर अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया था।

भादूविप्रा ने 28.05.2025 को 6 गीगाहर्ट्ज़ (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज़, 13 गीगाहर्ट्ज़, 15 गीगाहर्ट्ज़, 18 गीगाहर्ट्ज़, 21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, ई-बैंड तथा वी-बैंड में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आबंटन पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसके माध्यम से हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं प्रतिटिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। इस परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत हितधारकों द्वारा 24 टिप्पणियाँ तथा 08 प्रतिटिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं। इसके पश्चात, 11.08.2025 को ऑनलाइन माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

6 गीगाहर्ट्ज़ (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज़, 13 गीगाहर्ट्ज़, 15 गीगाहर्ट्ज़, 18 गीगाहर्ट्ज़, 21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, ई-बैंड तथा वी-बैंड में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आबंटन पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.149of2025.pdf

3. निर्यात हेतु निर्धारित एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री हेतु विनियामक फ्रेमवर्क पर अनुशंसाएं

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने निर्यात हेतु निर्धारित एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सिम/ई-सिम कार्डों की बिक्री से संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं। ये अनुशंसाएं दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत 17 सितंबर 2024 को भेजे गए रिफरेंस के क्रम में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें इन सिम/ई-सिम कार्डों के आयात हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने तथा उसके नवीनीकरण की शर्तें निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था।
भादूविप्रा ने हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से 4 जुलाई 2025 को इस विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसके पश्चात, 25 सितंबर 2025 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। इस परामर्श प्रक्रिया से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर तैयार की गई अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.154of2025.pdf

बैक-रेफरेंस

4. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेज़ेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरुआत पर अनुशंसाएं

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 26.09.2025 को भेजे गए रिफरेंस के माध्यम से "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेज़ेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरुआत" विषय पर भादूविप्रा से अनुशंसाएं मांगी थीं। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के उपरांत, भादूविप्रा ने इसी विषय पर 23.02.2024 को अपनी अनुशंसाएं डीओटी को प्रस्तुत की थीं।

इसके पश्चात, डीओटी ने 26.09.2025 को भेजे गए एक बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को अवगत कराया कि 23.02.2024 की भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है तथा कुछ अनुशंसाओं पर पुनर्विचार कर संशोधित अनुशंसाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

डीओटी द्वारा भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर व्यक्त प्रारंभिक (प्राइमा फेसी) विचारों का परीक्षण करने के उपरांत, भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस पर अपना प्रत्युत्तर अंतिम रूप से तैयार किया। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा का यह प्रत्युत्तर भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.122of2025.pdf

5. भारत में डेटा केंद्रों, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स तथा इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क पर अनुशंसाएं

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (डीओटी) से 29.08.2025 को प्राप्त बैक-रेफरेंस के संबंध में अपना प्रत्युत्तर जारी किया। यह बैक-रेफरेंस भादूविप्रा द्वारा 18.11.2022 को "भारत में डेटा केंद्रों, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स तथा इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क" विषय पर दी गई अनुशंसाओं के संदर्भ में भेजा गया था।

डी.ओ.टी. ने 29.08.2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा को अवगत कराया कि 18.11.2022 की समग्र अनुशंसाओं का हिस्सा रही अनुशंसा संख्याएँ 6.39 तथा 6.40, जो "डाटा ईथिक्स एंड ओनरशिप " से संबंधित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है तथा डीओटी द्वारा व्यक्त विचारों के आलोक में इन पर भादूविप्रा द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

उक्त अनुशंसाओं के संबंध में डीओटी द्वारा व्यक्त विचारों का परीक्षण करने के उपरांत, भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस पर अपना प्रत्युत्तर अंतिम रूप से तैयार किया। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा का यह प्रत्युत्तर भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.132of2025.pdf

ओपन हाउस चर्चा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 12.12.2025 को अंतर राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आई.एम.टी.) के लिए चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंडों में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर परामर्श पत्र के संबंध में वर्चुअल माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की।

निर्देश

1. वाणिज्यिक संचार में दुरुपयोग पर अंकुश लगाने हेतु एसएमएस कंटेंट टेम्पलेट्स में वेरिएबल्स की अनिवार्य प्री-टैगिंग से संबंधित निर्देश

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 18.11.2025 को एक निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत सभी सेल्युलर एक्सेस सेवा प्रदाताओं को वाणिज्यिक संचार में प्रयुक्त एसएमएस कंटेंट टेम्पलेट्स में यूआरएल, ऐप लिंक तथा कॉल-बैक नंबर जैसे वेरिएबल फ़ील्ड्स की अनिवार्य प्री-टैगिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इन वेरिएबल घटकों को ट्रेसेबल एवं उत्तरदायी बनाए जाने के माध्यम से इस उपाय का उद्देश्य स्वीकृत टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकना तथा एंटी-स्पैम और एंटी-फ्रॉड ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। इस निर्देश के अनुसार, सेल्युलर एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा प्रिंसिपल एंटिटीज़ को मौजूदा टेम्पलेट्स को 60 दिनों की अवधि के भीतर अद्यतन करना होगा, जिसके पश्चात अनुपालन न करने वाले संदेशों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह पहल टीसीसीसीपीआर, 2018 के प्रावधानों को और सुदृढ़ करती है तथा इससे आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त डिजिटल मैसेजिंग चैनलों में उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ने और विश्वास बहाल होने की अपेक्षा है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.133_of_2025.PDF

2. आरबीआई, सेबी एवं पीएफआरडीए द्वारा विनियमित बीएफएसआई क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 1600-श्रृंखला को चरणबद्ध रूप से अपनाने से संबंधित निर्देश

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 19 नवम्बर 2025 को एक निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत विनियमित वित्तीय संस्थानों से आने वाली वैध कॉलों की पहचान में नागरिकों की सहायता हेतु '1600' नंबर श्रृंखला आवंटित की गई है, जो अब तक प्रचलित और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील 10-अंकीय नंबरों का स्थान लेगी। इस निर्देश के माध्यम से भादूविप्रा ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉलों हेतु इस नई नंबरिंग श्रृंखला को लागू करने की समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करना तथा स्पैम और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है। '1600' श्रृंखला को चरणबद्ध रूप से अपनाने से उपभोक्ता सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होने तथा वॉयस कॉल के माध्यम से किए जाने वाले प्रतिरूपण-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की अपेक्षा है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.135of2025.pdf

3. आईआरडीएआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए 1600-श्रृंखला को अपनाने से संबंधित निर्देश जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 16 दिसंबर 2025 को एक निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनियमित संस्थाओं को उपभोक्ताओं को सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल करने हेतु 15 फरवरी 2026 तक '1600' श्रृंखला के नंबर अपनाने अनिवार्य किए गए हैं। यह निर्देश उपभोक्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करने, स्पैम पर अंकुश लगाने तथा वॉयस कॉल के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उक्त अंतिम तिथि आईआरडीएआई के साथ परामर्श के उपरांत निर्धारित की गई है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.151of2025.pdf

विभिन्न आयोजनों में भादूविप्रा

अंतर राष्ट्रीय

1. मैक्सिको के डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन एंड टेलीकॅयुनिकेशन मिनिस्टर (ए.टी.डी.टी.), महामहिम श्री जोस एंटोनियो पेना मेरिनो ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार लाहोटी से भेंट की। इस दौरान विनियामक ढांचे, स्पेक्ट्रम रणनीति, 5G एवं 6G प्रौद्योगिकियों तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सदस्य, डॉ. एम.पी. तंगिराला ने क़तर राज्य में भारत के राजदूत महामहिम श्री विपुल तथा मिशन के उप प्रमुख श्री संदीप कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सहभागिता की, जिससे वैश्विक दूरसंचार सहयोग एवं नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। एमडब्ल्यूसी25 दोहा के दौरान आयोजित राउंड टेबल सम्मेलन में डॉ. एम.पी. तंगिराला, सदस्य, भादूविप्रा ने नई स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण से संबंधित अपने विचार साझा किए, जिससे समावेशी एवं भविष्य-तैयार दूरसंचार विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया गया।

राष्ट्रीय

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने भारत के भुवनेश्वर में 4 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान "कार्य-निष्पादन, गुणवत्ता-सेवा तथा अनुभव की गुणवत्ता" विषय पर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की एक कार्यशाला का आयोजन किया।

भादूविप्रा के राजभाषा अनुभाग द्वारा अक्टूबर 2025 माह में की गई गतिविधियों का विवरण :-

(क) हिन्दी दिवस के संबंध में दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में माननीय अध्यक्ष, भादूविप्रा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 38 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किये । अध्यक्ष, भादूविप्रा ने हिंदी पखवाड़े के सफल आयोजन की प्रशंसा की तथा साथ ही पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित फोटोग्राफ :-

(ख) सचिव, भादूविप्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2:30 बजे ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें हिंदी के कार्यो पर चर्चा की गई। बैठक में समिति सदस्यों व सभी अनुभागों/प्रभागों के राजभाषा नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। ऑनलाइन हुई मीटिंग का स्क्रीनशॉटः

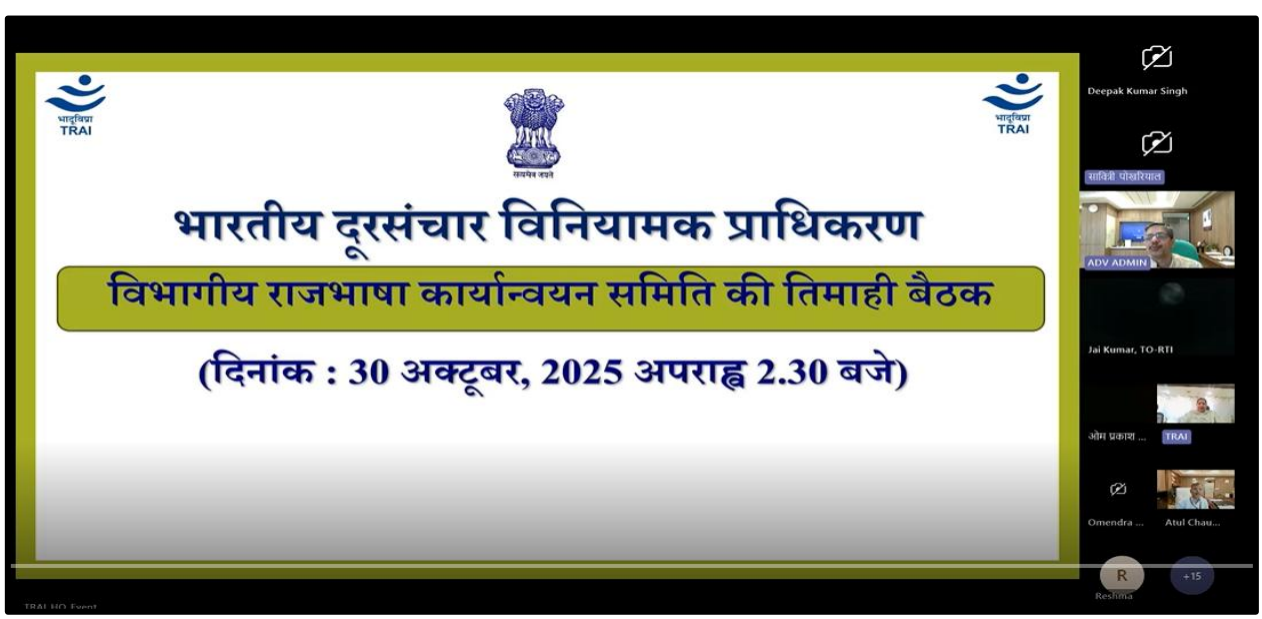

मोबाइल नेटवर्क के ड्राइव टेस्ट

1. संगारेड्डी शहर, आंध्र प्रदेश

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अक्टूबर 2025 माह में तेलंगाना के संगारेड्डी शहर के लिए किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये ड्राइव टेस्ट भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की देखरेख में आयोजित किए गए थे, जिनका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों, संस्थागत हॉटस्पॉट्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न उपयोग परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन का आकलन करना था। 7 से 9 अक्टूबर 2025 के दौरान, भादूविप्रा की टीमों ने कुल 355.0 किमी के मार्ग को कवर करते हुए तथा 5 हॉटस्पॉट स्थानों पर विस्तृत परीक्षण किए। मूल्यांकन में 2G, 3G, 4G और 5G प्रौद्योगिकियाँ शामिल थीं, जो विभिन्न प्रकार की हैंडसेट क्षमताओं के अनुसार उपभोक्ताओं के सेवा अनुभव को दर्शाती हैं।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.136of2025.pdf

2. दिल्ली

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अक्टूबर 2025 माह में दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल.एस.ए.) के लिए किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली की देखरेख में आयोजित किए गए थे, जिनके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों तथा सार्वजनिक परिवहन केंद्रों सहित विभिन्न परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन का आकलन किया गया। 6 से 10 अक्टूबर 2025 के दौरान, भादूविप्रा की टीमों द्वारा कुल 402.0 किमी के ड्राइव मार्ग, 6.1 किमी के वॉक टेस्ट तथा एक स्थान पर इंटर-ऑपरेटर कॉलिंग से संबंधित परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G तथा 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, ताकि विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं के अनुसार उपभोक्ताओं के सेवा अनुभव का आकलन किया जा सके।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.138of2025.pdf

3. जयपुर–चूरू राजमार्ग (सीकर शहर एवं आसपास का क्षेत्र)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अक्टूबर 2025 माह में मोबाइल नेटवर्क सेवा गुणवत्ता का आकलन करने हेतु जयपुर–चूरू राजमार्ग तथा इसके आसपास के क्षेत्रों, जिनमें सीकर शहर, सालासर एवं रींगस शामिल हैं, पर एक स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) आयोजित किया। इस ड्राइव टेस्ट के दौरान उन्नत हैंडसेट एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा गति तथा वाणी गुणवत्ता जैसे कार्य-निष्पादन संकेतकों का मूल्यांकन किया गया। इस ड्राइव टेस्ट के निष्कर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 204.3 किमी तथा शहरी क्षेत्रों में 263.5 किमी की ड्राइविंग के साथ-साथ अतिरिक्त हॉटस्पॉट स्थानों पर किए गए परीक्षण शामिल हैं। ये निष्कर्ष उपभोक्ता जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए हैं तथा सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार हेतु प्रेरित करने के लिए हैं।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.139of2025.pdf

4. रुड़की शहर एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस सेवा क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अक्टूबर 2025 माह में उत्तर प्रदेश के रुड़की शहर तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) आयोजित किए। ये परीक्षण 7 एवं 8 अक्टूबर 2025 को आयोजित किए गए, जिनके अंतर्गत 152.8 किमी की शहरी ड्राइविंग तथा 2.0 किमी के वॉक टेस्ट शामिल थे। इन परीक्षणों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों तथा सार्वजनिक परिवहन केंद्रों सहित विभिन्न परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन का आकलन करने हेतु 2G, 3G, 4G तथा 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-11/PR_No.140of2025.pdf

5. वायनाड

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अक्टूबर 2025 माह में केरल लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वायनाड में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु की देखरेख में आयोजित किए गए थे, जिनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों, संस्थागत एवं पर्यटन हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों तथा उच्च-गति कॉरिडोर्स सहित विभिन्न परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन का आकलन किया गया। 14 से 17 अक्टूबर 2025 के दौरान, इन परीक्षणों के अंतर्गत 251.6 किमी की शहरी ड्राइविंग, 8 हॉटस्पॉट स्थान, 7.0 किमी के वॉक टेस्ट तथा 265.3 किमी की राजमार्ग ड्राइविंग को कवर किया गया। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G तथा 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं के अनुसार उपभोक्ताओं के सेवा अनुभव का आकलन किया जा सके।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.142of2025.pdf

6. बरपेटा एवं बोंगाईगांव ज़िले, असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अक्टूबर 2025 माह में असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बरपेटा एवं बोंगाईगांव ज़िलों में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता की देखरेख में 28 से 31 अक्टूबर 2025 के दौरान आयोजित किए गए थे।
इन परीक्षणों के अंतर्गत कुल 230.8 किमी के ड्राइव टेस्ट, 8 हॉटस्पॉट स्थान तथा 1.1 किमी के वॉक टेस्ट शामिल थे। इन परीक्षणों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन का आकलन करने हेतु 2G, 3G, 4G तथा 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.143of2025.pdf

7. एलुरु शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश राज्य (आंध्र प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने नवंबर 2025 माह में आंध्र प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत एलुरु शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये परीक्षण भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद की देखरेख में आयोजित किए गए थे। इन परीक्षणों के अंतर्गत कुल 348.6 किमी के मार्ग तथा 8 हॉटस्पॉट स्थानों को कवर किया गया। शहरी क्षेत्रों, संस्थागत हॉटस्पॉट्स एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन का आकलन करने हेतु 2G, 3G, 4G तथा 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विविध प्रकार के उपभोक्ता सेवा अनुभवों को परिलक्षित किया जा सके।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.148of2025.pdf

8. सूरत शहर एवं आसपास का क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु नवंबर 2025 माह के दौरान गुजरात के सूरत शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। इस ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस एवं डेटा) की वास्तविक परिस्थितियों में गुणवत्ता का आकलन एवं सत्यापन करना है।

इस स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के दौरान भादूविप्रा द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क के लाइव कार्य-निष्पादन डेटा को कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा डाउनलोड एवं अपलोड गति, वाणी गुणवत्ता आदि जैसे प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर कैप्चर किया गया। इसके लिए अनेक उन्नत परीक्षण हैंडसेट्स का उपयोग किया गया तथा सत्रों की रीयल टाइम निगरानी कर उन्नत सॉफ्टवेयर प्रणालियों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.152of2025.pdf

9. बद्दी शहर

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने नवंबर 2025 माह के दौरान हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एच.पी. एल.एस.ए.) के अंतर्गत बद्दी शहर में किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए। ये ड्राइव टेस्ट भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली की देखरेख में आयोजित किए गए थे, जिनका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों, संस्थागत हॉटस्पॉट्स, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों तथा उच्च-गति कॉरिडोर्स सहित विविध उपयोग परिवेशों में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक कार्य-निष्पादन का आकलन करना था।

11 से 13 नवंबर 2025 के दौरान, भादूविप्रा की टीमों द्वारा 180.0 किमी की शहरी ड्राइव टेस्ट, 6 हॉटस्पॉट स्थानों, 2.3 किमी के वॉक टेस्ट तथा एक स्थान पर इंटर-ऑपरेटर कॉलिंग से संबंधित विस्तृत परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में 2G, 3G, 4G तथा 5G प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिससे विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं के अनुसार उपभोक्ताओं के सेवा अनुभव को दर्शाया जा सके।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.153of2025.pdf

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 7 नवंबर 2025 को पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 12 नवंबर 2025 को पालवनचा (तेलंगाना) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 15 नवंबर 2025 को उदयपुर (राजस्थान) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 21 नवंबर 2025 को अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा 26 नवंबर 2025 को कटरा (जम्मू एवं कश्मीर) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 26 नवंबर 2025 को रतलाम (मध्य प्रदेश) में एक उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 4 दिसंबर 2025 को वोखा (नागालैंड) में एक उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 5 दिसंबर 2025 को चित्रदुर्ग में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 9 दिसंबर 2025 को रायगढ़ में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 11 दिसंबर 2025 को मोहाली (पंजाब) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 19 दिसंबर 2025 को नेरुल (नवी मुंबई) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 23 दिसंबर 2025 को गिरिडीह (झारखंड) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा 30 दिसंबर 2025 को कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

न्यायिक निर्णय / विधिक अद्यतन

‘कानून को जानिए’ श्रृंखला के अंतर्गत, भादूविप्रा द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावना

किसी विधि की प्रस्तावना का विधायी मसौदा-निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य, क्षेत्र तथा अंतर्निहित आशय को स्पष्ट करती है। यद्यपि प्रस्तावना स्वयं किसी को अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही किसी प्रकार का दायित्व निर्धारित करती है, तथापि यह यह समझने में सहायक होती है कि विधि निर्माताओं की मंशा क्या थी।

प्रस्तावना अपने आप में प्रवर्तनीय नहीं होती है तथा इससे कोई शक्ति या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी प्रावधान की भाषा अस्पष्ट हो, तो उस अस्पष्टता के निराकरण तथा विधायिका द्वारा समाधान हेतु अभिप्रेत समस्या को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार, प्रस्तावना एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करती है, जो विधिक प्रावधानों की व्याख्या में सहायक होती है और यह सुनिश्चित करती है कि विधि का अनुप्रयोग उसके अभिप्रेत उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (ट्राई अधिनियम) की प्रस्तावना निम्नानुसार है:

> “एक अधिनियम, जिसके द्वारा दूरसंचार सेवाओं के विनियमन, विवादों के निपटान, अपीलों के निस्तारण तथा दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित किया जा सके तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक विषयों का प्रावधान किया जा सके।”

ट्राई अधिनियम की प्रस्तावना इन सिद्धांतों का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना में दूरसंचार सेवाओं के विनियमन, विवादों के निपटान तथा सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं—दोनों के हितों की रक्षा के उद्देश्य को रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही, इसमें दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता को सुगम बनाने पर भी बल दिया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, प्रस्तावना संसद की उस मंशा को दर्शाती है जिसके अंतर्गत एकाधिकारवादी व्यवस्था से हटकर उदारीकृत एवं प्रतिस्पर्धात्मक दूरसंचार बाजार की ओर अग्रसर होना, साथ ही उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देना अभिप्रेत है।

इस प्रकार, ट्राई अधिनियम की प्रस्तावना एक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करती है, जो प्राधिकरण को अपने विनियामक दायित्वों के निर्वहन में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भादूविप्रा की कार्यवाहियाँ जनहित, उपभोक्ता कल्याण तथा भारत में एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धात्मक और दक्ष दूरसंचार ईकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप बनी रहें।

***

विनियामक की भूमिका: न्यायिक परिप्रेक्ष्य

आधुनिक कल्याणकारी राज्य में शासन की प्रकृति प्रत्यक्ष नियंत्रण की अपेक्षा निरंतर विनियमन पर अधिक आधारित होती जा रही है। उदारीकरण, निजीकरण तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति के परिणामस्वरूप दूरसंचार, प्रसारण, ऊर्जा एवं वित्त जैसे क्षेत्र जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक तथा तीव्र गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, विनियामक संस्थाएँ ऐसे संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती हैं, जिनका उद्देश्य जनहित, बाज़ार दक्षता, उपभोक्ता कल्याण तथा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि विनियामक संस्थाएँ विशेषज्ञ निकाय होती हैं, जिन्हें विशिष्ट एवं तकनीकी कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है।

संवैधानिक आधार: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल वाद

विनियामक हस्तक्षेप के संवैधानिक आधारों को *सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995)* वाद में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एयरवेव्स सार्वजनिक संपत्ति हैं तथा उनका उपयोग जनहित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। यद्यपि न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को स्वीकार किया, तथापि यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के असीमित उपयोग का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

न्यायालय ने प्रसारण के क्षेत्र में राज्य के एकाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया, साथ ही स्पेक्ट्रम तक पहुँच में निष्पक्षता, बहुलता तथा गैर-मनमानेपन को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि विनियमन के अभाव में कुछ शक्तिशाली संस्थाओं का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, जिससे समानता और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्यों को क्षति पहुँचेगी।

विनियामक भूमिकाओं पर न्यायिक टिप्पणियाँ

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि विनियामक निर्णयों, विशेष रूप से आर्थिक एवं तकनीकी विषयों से संबंधित निर्णयों के संदर्भ में न्यायिक संयम बरतना अपेक्षित है। *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम साइनामाइड इंडिया लिमिटेड (1987)* वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल्य निर्धारण एक विधायी कार्य है, जिसमें जटिल आर्थिक विचार सम्मिलित होते हैं। न्यायालयों को ऐसे मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि संबंधित कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी, अविवेकपूर्ण अथवा संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली न हो। इस निर्णय के माध्यम से यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि विनियामक संस्थाएँ मात्र प्रशासनिक प्राधिकारी नहीं होतीं, बल्कि वे विधायी नीति के विस्तार के रूप में कार्य करती हैं।

इसी प्रकार, श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1990) वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि आर्थिक विनियमन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा व्यापक अर्थव्यवस्था जैसे परस्पर प्रतिस्पर्धी हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों के स्थान पर न्यायालयों को अपना निर्णय प्रतिस्थापित करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि विनियामक संस्थाएँ क्षेत्र-विशिष्ट वास्तविकताओं का आकलन करने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त स्थिति में होती हैं।

क्षेत्रीय विनियामक के रूप में भादूविप्रा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत तीव्र गति से उदारीकृत हो रहे दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत भादूविप्रा को नीतिगत उपायों पर अनुशंसाएं प्रदान करने, टैरिफ का विनियमन करने, लाइसेंस शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2015) वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भादूविप्रा को दूरसंचार विनियमन के लिए प्राथमिक विशेषज्ञ निकाय के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी। न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों, इंटरकनेक्शन तथा मूल्य निर्धारण जैसे तकनीकी एवं आर्थिक आकलन से जुड़े विषयों की प्रारंभिक जाँच भादूविप्रा द्वारा की जानी चाहिए। न्यायनिर्णायक निकायों, जैसे कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (टीडीसैट), तथा संवैधानिक न्यायालयों को सामान्यतः भादूविप्रा के तकनीकी निष्कर्षों पर निर्भर रहना चाहिए। इस निर्णय ने विनियामक की संस्थागत प्रधानता को सुदृढ़ किया तथा फोरम शॉपिंग अथवा समयपूर्व न्यायिक हस्तक्षेप को रोका।

इसी प्रकार, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन ऑफ यूनिफ़ाइड टेलीकॉम सर्विस (2019) वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि भादूविप्रा एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते उसकी अनुशंसाओं को केंद्र सरकार द्वारा यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए। तथापि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भादूविप्रा की अनुशंसाएं केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं तथा भादूविप्रा के विनियामक एवं अन्य कार्य, जैसा कि ट्राई अधिनियम में उपबंधित है, केंद्र सरकार से स्वतंत्र रूप से निष्पादित किए जाने चाहिए। न्यायालय ने भादूविप्रा जैसे क्षेत्रीय विनियामक की कार्यात्मक स्वायत्तता तथा उसके द्वारा दी गई अनुशंसाओं के महत्व को रेखांकित किया।

इससे पूर्व, बीएसएनएल बनाम भादूविप्रा (2014) वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि भादूविप्रा की भूमिका मात्र परामर्शात्मक है। न्यायालय ने यह माना कि भादूविप्रा महत्वपूर्ण विनियामक एवं अनुशंसात्मक कार्य करता है, जो नीतिगत परिणामों तथा बाज़ार संरचना को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि भादूविप्रा द्वारा जारी परामर्श पत्र, हितधारकों के साथ सहभागिता तथा तर्कसंगत अनुशंसाएं सूचित एवं प्रभावी विनियामक निर्णय-निर्माण की आधारशिला होती हैं।

सार्वजनिक परामर्शी सूचना

24.11.2025 को जारी की गई

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने एक परामर्शी सूचना जारी करते हुए नागरिकों से आग्रह किया कि वे स्पैम कॉल एवं एसएमएस की सूचना TRAI DND ऐप के माध्यम से दें। इसमें यह रेखांकित किया गया कि केवल व्यक्तिगत उपकरणों पर नंबरों को ब्लॉक करने से स्पैम की समस्या का स्रोत पर समाधान नहीं होता है।

भादूविप्रा ने मोबाइल उपभोक्ताओं से यह भी आग्रह किया कि वे केवल अपने फोन पर कॉल ब्लॉक करने के बजाय **TRAI DND ऐप** के माध्यम से स्पैम एवं धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें, जिससे दोषियों की पहचान कर उनके कनेक्शन को निष्क्रिय किया जा सके।

दूरसंचार धोखाधड़ी एवं अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से बचाव हेतु निम्नलिखित सुझाव साझा किए गए:

(नागरिकों को आधिकारिक ऐप स्टोर्स से **TRAI DND ऐप** डाउनलोड करने की सलाह दी गई।)

(उपयोगकर्ताओं को अपने फोन पर कॉल या संदेश ब्लॉक करने के बजाय **TRAI DND ऐप** के माध्यम से स्पैम कॉल एवं एसएमएस की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि दोषियों की पहचान कर उनके कनेक्शन को बंद किया जा सके।)

(जनता को कॉल, संदेश अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करने के प्रति सतर्क किया गया।)

(नागरिकों को धमकी भरे अथवा संदिग्ध कॉल प्राप्त होने पर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करने की सलाह दी गई।
साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की सूचना **राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930)** या www.cybercrime.gov.in के माध्यम से देने की सलाह दी गई।)

(दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के माध्यम से की गई धोखाधड़ी के प्रयासों की सूचना **संचार साथी पोर्टल** पर उपलब्ध **"चक्षु"** सुविधा के माध्यम से देने की सलाह दी गई।)

प्राधिकरण ने सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित एवं विश्वसनीय दूरसंचार परिवेश सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह भी रेखांकित किया गया कि स्पैम की समस्या का स्रोत पर समाधान करने हेतु प्रवर्तनात्मक कार्रवाई, प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी तथा **TRAI DND ऐप** के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भादूविप्रा ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिला उपयोगकर्ताओं तथा डिजिटल रूप से नए अथवा कम अनुभवी उपयोगकर्ताओं से सतर्क रहने, इस परामर्शी सूचना को व्यापक रूप से साझा करने तथा किसी भी संदिग्ध संचार की तत्काल सूचना देने का आग्रह किया।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.148of2025.pdf

अभिदाता आधार

दूरसंचार अभिदाता

30 नवम्बर 2025 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार अभिदाता आँकड़ों के प्रमुख बिंदु

विवरण	वायरलेस*	वायरलाइन	कुल
कुल दूरभाष अभिदाता (मिलियन में)	1187.48	47.05	1234.53
शहरी दूरभाष अभिदाता (मिलियन में)	650.22	41.94	692.16
ग्रामीण दूरभाष अभिदाता (मिलियन में)	537.26	5.11	542.37
कुल टेली-घनत्व (%)	83.46%	3.31%	86.77%
शहरी अभिदाताओं की हिस्सेदारी (%)	54.76%	89.14%	56.07%
ग्रामीण अभिदाताओं की हिस्सेदारी (%)	45.24%	10.86%	43.93%
ब्रॉडबैंड अभिदाताओं की संख्या (मिलियन में)	**958.54**	**45.11**	**1003.65**

• नवंबर 2025 माह में 14.69 मिलियन अभिदाताओं द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए गए।

• नवंबर 2025 माह में सक्रिय वायरलेस (मोबाइल) अभिदाताओं की संख्या (पीक वीएलआर# की तिथि के अनुसार) 1090.91 मिलियन रही।

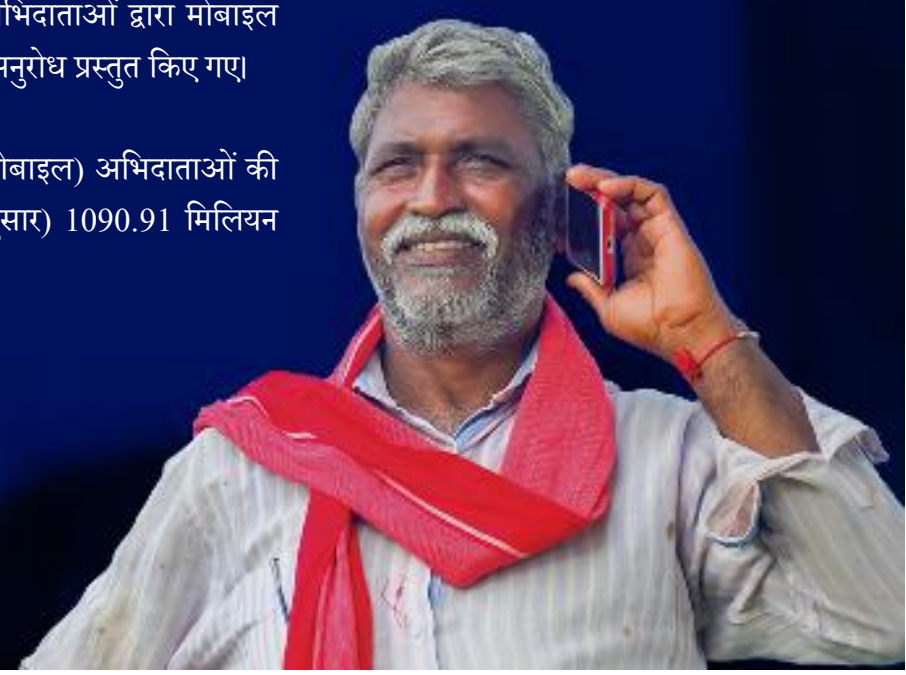

ब्रॉडबैंड अभिदाता

नवंबर 2025 माह में ब्रॉडबैंड अभिदाताओं की कुल संख्या अक्टूबर 2025 के अंत में 999.81 मिलियन से बढ़कर नवंबर 2025 के अंत में 1003.65 मिलियन हो गई, जिसमें मासिक वृद्धि दर 0.38% रही।

नवंबर 2025 माह में खंड–वार ब्रॉडबैंड अभिदाता एवं मासिक वृद्धि दर

खंड	सब्सक्रिप्शन	अभिदाता (मिलियन में)		प्रतिशत परिवर्तन*
		अक्टूबर 2025	नवंबर 2025	
वायर्ड अभिदाता	स्थिर (वायर्ड) एक्सेस (DSL, FTTx, Ethernet/LAN, Cable Modem, ILL)	44.82	45.11	0.64%
वायरलेस अभिदाता	स्थिर वायरलेस एक्सेस (5G FWA, Wi-Fi, Wi-Max, Radop /UBR, satellite)	13.18	14.06	6.69%
	मोबाइल वायरलेस एक्सेस (हैंडसेट/डोंगल आधारित 3G, 4G, 5G)	941.82	944.48	0.28%
कुल ब्रॉडबैंड अभिदाता		**999.81**	**1003.65**	**0.38%**

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/English%20Press%20Release%20of%20Telecom%20Subscription%20Data-November-25_English-31.12.2025_1815-sd.pdf

क्षमता निर्माण

कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम के अंतर्गत भादूविप्रा के कर्मचारियों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन 29 दिसंबर 2025 को भादूविप्रा मुख्यालय में किया गया। इस कार्यशाला के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा में कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता एवं विशेष शिक्षिका श्रीमती हेना अख्तर को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। यह कार्यशाला भादूविप्रा के सभी अधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई।

- अक्टूबर से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान कुल सात (07) अधिकारियों को वक्ता के रूप में नामित किया गया। विवरण निम्नानुसार है: –

क्रम संख्या	दिनांक	संस्थान	विषय	स्थान	अधिकारियों के नाम
1	15.10.2025	एनसीए-टी, गाजियाबाद	सेवा गुणवत्ता एवं कार्य-निष्पादन संकेतक	एनसीए-टी, गाजियाबाद	संयुक्त सलाहकार (क्यूओएस-I)
2	16.10.2025		दूरसंचार टैरिफ विनियमन		संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए)
3	17.10.2025		संसदीय प्रक्रिया		संयुक्त सलाहकार (विधि)
4	30.10.2025		सुरक्षित दूरसंचार ईकोसिस्टम का निर्माण: स्पैम एवं धोखाधड़ी के विरुद्ध भादूविप्रा की विनियामक कार्रवाइयाँ	इब्न खलदून सभागार, कश्मीर विश्वविद्यालय	संयुक्त सलाहकार (क्यूओएस-II)
5	30.12.2025	एनसीए-टी, गाजियाबाद	भादूविप्रा अधिनियम, 1997	एनसीए-टी, गाजियाबाद	संयुक्त सलाहकार (विधि)
6	30.12.2025		विनियामकों की भूमिका		संयुक्त सलाहकार (विधि)
7	30.12.2025		केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995		संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस)

- अक्टूबर से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान संयुक्त सलाहकार स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को एनपीसी, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), नई दिल्ली तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया। विवरण निम्नानुसार है: –

क्रम संख्या	संस्थान	विषय	स्थान	अधिकारियों के नाम
	एमडीआई, गुरुग्राम	गैर-वित्तीय अधिकारियों के लिए वित्त	एमडीआई, गुरुग्राम परिसर	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एनएसएल-II)
1	एनपीसी, मुंबई	डिजिटल कार्यस्थल प्रबंधन पर उन्नत पाठ्यक्रम (ई-ऑफिस, पीएफएमएस, ई-प्रोक्योरमेंट एवं संबंधित जीएफआर)	गोवा	1. सहायक (मानव संसाधन)
				2. सहायक (सामान्य प्रशासन)
				3. सहायक (क्यूओएस-II)
2	एनपीसी, जयपुर	प्रशासनिक प्रभावशीलता: फोकस—मानव संसाधन, आरटीआई एवं पीओएसएच	जैसलमेर	1. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस- II)
				2. तकनीकी अधिकारी, प्रशासन (वित्त)
				3. निजी सचिव (बीबी एंड पीए)
				4. सहायक (एफ एंड ईए-II)
3	एनपीसी, दिल्ली	जीईएम के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट पर उन्नत पाठ्यक्रम (लागत अनुकूलन तकनीकें एवं अनुबंध प्रबंधन)—जीएफआर पर आधारित	पोर्ट ब्लेयर (श्री विजय पुरम)	1. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (एनएसएल)
				2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बीबी एंड पीए)
				3. तकनीकी अधिकारी (एफ एंड ईए)
				4. सहायक (मानव संसाधन)
				5. सहायक (सामान्य प्रशासन)
				6. सहायक (ए एंड पी)
				7. सहायक (सामान्य प्रशासन)
4	एनपीसी, मुंबई	प्रशासनिक कौशल, निवारक सतर्कता एवं आरटीआई को सुदृढ़ करना	गोवा	1. संयुक्त सलाहकार (विधिक)
				2. प्रधान निजी सचिव (अध्यक्ष कार्यालय)
5	एनईजीडी, नई दिल्ली	शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता	आईआईटी दिल्ली, परिसर	1. संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस)
				2. संयुक्त सलाहकार (विधि)
6	आईआईटी, कानपुर	अनुप्रयुक्त डेटा विज्ञान एवं मशीन इंटेलिजेंस: मूलभूत अवधारणाओं से अगली पीढ़ी की एआई तक	ऑनलाइन	संयुक्त सलाहकार (क्यूओएस-II)

- तृतीय तिमाही, अर्थात् 01.10.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल अड़तालीस (48) अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया। इनमें से बीस (20) अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की, जबकि अट्ठाईस (28) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा या तो नाम वापस ले लिया गया अथवा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।

मानव संसाधन
(एच.आर. कॉर्नर)

रिक्ति परिपत्र

प्राधिकरण द्वारा प्रधान सलाहकार, संयुक्त सलाहकार (मुख्यालय), क्षेत्रीय कार्यालयों (भोपाल, हैदराबाद, जयपुर एवं कोलकाता) के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों को अन्यत्र सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने हेतु तथा ट्राई मुख्यालय के लिए GATE 2023, 2024 एवं 2025 के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती से तकनीकी अधिकारी के पद को भरने हेतु कुल चार (04) रिक्ति परिपत्र जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं के पदों को भरने हेतु कुल चार (04) रिक्ति परिपत्र जारी किए गए। इनमें एसोसिएट कंसल्टेंट (विधि), सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा गोपनीयता से संबंधित परामर्शदाता के पद शामिल थे, जो क्रमशः विधिक, QoS-I, NSL-I एवं आईटी प्रभाग से संबंधित थे।

प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर नियुक्ति: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से चयनित पाँच (05) व्यक्तिगत सहायकों ने इस अवधि के दौरान भादूविप्रा मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।

स्थानांतरण: इस अवधि के दौरान भादूविप्रा मुख्यालय में कार्यरत पाँच (05) अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया।

अधिवार्षिकी / सेवानिवृत्ति: इस अवधि के दौरान भादूविप्रा के दो (02) अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, जिनमें से एक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तथा एक अधिकारी ने अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति प्राप्त की।

भादूविप्रा मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति तथा अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं की सहभागिता

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति: इस अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुल छह (06) अधिकारी/कर्मचारी भादूविप्रा मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, जिनमें एक (01) प्रधान सलाहकार, तीन (03) संयुक्त सलाहकार, एक (01) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा एक (01) सहायक शामिल हैं।

अनुबंध के आधार पर सहभागिता: इस अवधि के दौरान भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों में एक (01) वरिष्ठ एसोसिएट कंसल्टेंट ग्रेड-I तथा तीन (03) कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल्स को अनुबंध के आधार पर संलग्न किया गया।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं की सहभागिता

अनुबंध के आधार पर सहभागिता: इस अवधि के दौरान भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय – जयपुर में एक (01) परामर्शदाता को अनुबंध के आधार पर संलग्न किया गया।

अन्य गतिविधियाँ

कार्यशाला

भुवनेश्वर में कार्य-निष्पादन, सेवा गुणवत्ता एवं अनुभव की गुणवत्ता पर आईटीयू–ट्राई कार्यशाला का उद्घाटन

भुवनेश्वर, 4 दिसंबर 2025 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) एवं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा "कार्य-निष्पादन, सेवा गुणवत्ता तथा अनुभव की गुणवत्ता" विषय पर आईटीयू–ट्राई कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। यह दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित ढाँचों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं तथा तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया। कार्यशाला का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया, जिसके पश्चात भादूविप्रा के अधिकारियों तथा आईटीयू और ओडिशा सरकार के गणमान्य प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत एवं उद्घाटन भाषण दिए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत क्वालिटी-ऑफ-सर्विस डेवलपमेंट ग्रुप (QSDG) की बैठक तथा "एनआरए रिपॉजिटरी" पहल पर रैपोर्टियर समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य विनियामकों के लिए QoS एवं QoE मापदंडों की एक वैश्विक लाइब्रेरी का निर्माण करना है। कार्यशाला में QoS एवं QoE प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया तथा विनियामक निकायों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यशाला में एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की, जिससे दूरसंचार मानकों एवं नीति विकास के महत्व को रेखांकित किया गया। प्रतिभागियों में 39 देशों के विनियामक अधिकारी, सेवा प्रदाता तथा विषय विशेषज्ञ शामिल थे।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/PR_No.145of2025.pdf

बैठकें

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर 2025 को भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में संयुक्त विनियामक समिति (JCoR) के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (डीओटी), इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) तथा भादूविप्रा के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त, गूगल, मेटा तथा जीएसएमए ने विशेष आमंत्रितों के रूप में भाग लिया।इस बैठक का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करना तथा स्पैम, धोखाधड़ी एवं डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं को कम करना था। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भादूविप्रा दूरसंचार विभाग के मानदंडों के अनुरूप प्रिंसिपल एंटिटीज़ के लिए एक समान केवाईसी फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करेगा तथा इस पर संबंधित विनियामकों से फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित विनियामकों की सहमति के साथ, भादूविप्रा द्वारा प्रिंसिपल एंटिटीज़ को टेलीमार्केटर्स के साथ लॉग-इन क्रेडेंशियल साझा करने पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किए जाएंगे।

तैयार किए जाने वाले मसौदे के अंतर्गत तृतीय-पक्ष यूआरएल के दुरुपयोग को रोकने हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के यूआरएल शॉर्टनर्स के उपयोग को अनिवार्य किया जाएगा तथा एसएमएस टेम्पलेट्स में टैगिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यूआरएल एवं कॉल-बैक नंबरों की प्रभावी रूप से स्क्रबिंग की जा सके। भादूविप्रा द्वारा चक्षु पोर्टल के माध्यम से टीएयू रिपोर्टों के निपटान को स्वचालित करने का प्रस्ताव है तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्लैकलिस्ट की गई संस्थाओं के प्रकटीकरण पर भी विचार किया जाएगा। 1600-श्रृंखला में पूर्ण माइग्रेशन हेतु एक कठोर अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचारात्मक कॉल केवल 140-श्रृंखला का उपयोग करके ही की जाएँ। इसके अतिरिक्त, गूगल, मेटा तथा जीएसएमए के साथ धोखाधड़ी-रोधी पहलों एवं डेटा साझाकरण के संबंध में सहयोगात्मक चर्चाएँ की जाएँगी। अंततः, भादूविप्रा उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उपभोक्ता जागरूकता अभियानों में योगदान देगा।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.112of2025.pdf

कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CEAI) का वार्षिक सम्मेलन

कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) द्वारा 26–27 नवंबर 2025 को होटल शांगरी-ला, नई दिल्ली में अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय जलवायु कार्रवाई के प्रेरक के रूप में अवसंरचना रहा। इस सम्मेलन में वरिष्ठ अभियंताओं, नीति-निर्माताओं सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। सम्मेलन के दौरान विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करने, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने तथा व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे: –

क. परामर्शदाताओं, ईपीसी ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों एवं विनियामकों के मध्य अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
ख. वास्तविक परियोजनाओं पर आधारित अध्ययन एवं विस्तार योग्य नवाचारों के माध्यम से हरित एवं स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया को गति देना।
ग. कार्यक्षेत्र से प्राप्त अनुभवों को स्पष्ट एवं क्रियान्वयन योग्य अनुशंसाओं में परिवर्तित कर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करना।

भादूविप्रा के प्रधान सलाहकार, श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने सम्मेलन के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी विषय पर प्रस्तुति दी, जिस पर श्रोताओं की ओर से सकारात्मक सहभागिता देखने को मिली। प्रस्तुति के दौरान टीएयू रिपोर्टों के निपटान के स्वचालन, पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ब्लैकलिस्ट की गई संस्थाओं के प्रकाशन, तथा धोखाधड़ी से निपटने और उपभोक्ता जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ करने के लिए गूगल एवं मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

विविध गतिविधियाँ

1. भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग फ्रेमवर्क के आधिकारिक लोगो के डिज़ाइन हेतु प्रतियोगिता की घोषणा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग (डीसीआर) लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के पहले डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग फ्रेमवर्क—जो भवनों एवं अवसंरचना के लिए तैयार किया गया है—के लिए एक लोगो निर्माण में जन-जागरूकता बढ़ाना तथा सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। चयनित डिज़ाइन को डीसीआर प्रमाणन, प्लेटफॉर्म्स, हितधारक संचार तथा जनसंपर्क अभियानों के लिए आधिकारिक लोगो के रूप में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग (डीसीआर) फ्रेमवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 के अनुसार, भवनों की गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, जिसमें मोबाइल कवरेज से लेकर ब्रॉडबैंड अवसंरचना एवं वास्तविक सेवा कार्य-निष्पादन तक शामिल हैं। यह फ्रेमवर्क संपत्ति प्रबंधकों को भादूविप्रा-पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे इनडोर डिजिटल अवसंरचना के संबंध में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

प्रतियोगिता का विवरण निम्नानुसार था:

- **पात्रता:** प्रतियोगिता 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए खुली थी।
- **प्रस्तुति प्रारूप:** प्रविष्टियाँ JPG, PNG अथवा PDF प्रारूप में (अधिकतम आकार 5 MB) स्वीकार की गईं, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी को अधिकतम दो प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति थी।
- **अनिवार्य जानकारी:** प्रतिभागी का नाम, आयु, पता, संपर्क विवरण, पेशा तथा वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
- **शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागी:** चयनित प्रतिभागियों को मूल्यांकन हेतु ओपन फ़ाइल फ़ॉर्मेट (.AI / .EPS / .SVG) में डिज़ाइन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** विजेता डिज़ाइनर को डिज़ाइन के सम्पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) भादूविप्रा को हस्तांतरित करने होंगे।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.111of2025.pdf

2. नवंबर 2025 माह में भारत में ब्रॉडबैंड अभिदाता आधार ने 1 बिलियन (100 करोड़) का आँकड़ा पार किया

नवंबर 2025 माह में भारत में ब्रॉडबैंड अभिदाताओं की संख्या 1 बिलियन (100 करोड़) के आँकड़े को पार कर गई। पिछले 10 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड अभिदाता आधार में छह गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर 2015 के अंत में जहाँ ब्रॉडबैंड अभिदाताओं की संख्या 131.49 मिलियन (13.15 करोड़) थी, वहीं नवंबर 2025 के अंत तक यह बढ़कर 1 बिलियन (100.37 करोड़) हो गई।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-12/

3. भादूविप्रा द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" विषय के अंतर्गत भादूविप्रा द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। 27 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11:00 बजे, भादूविप्रा के अध्यक्ष द्वारा भादूविप्रा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-10/PR_No.124of2025.pdf

1. भादूविप्रा ने 27 अक्टूबर 2025 को दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) को पत्र जारी कर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) की प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अनुकूलित करने हेतु कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर 2025 को भादूविप्रा ने डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) से इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के अनुरूप वित्तीय दंड से बचने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक अपने ऑडिट पूर्ण करने का आग्रह किया।

2. भादूविप्रा ने 26 अगस्त 2025 को जारी डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑडिट हेतु ऑडिटर्स के पैनलन से संबंधित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में निहित शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति तथा इच्छुकता प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑडिट हेतु पैनलन के निरंतरता/विस्तार के लिए पैनलन किए गए ऑडिटर्स द्वारा इच्छुकता प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया। यह तिथि, जो पूर्व में 15 सितंबर 2025 निर्धारित थी, ऑडिटर्स द्वारा अतिरिक्त समय की मांग किए जाने के पश्चात बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2025 कर दी गई।

4. भादूविप्रा ने जुलाई–सितंबर 2025 की तिमाही के लिए "भारतीय दूरसंचार सेवाएं कार्य-निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" प्रकाशित की, जिसमें भारत में दूरसंचार सेवाओं की समग्र स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान दूरसंचार सेवाओं, केबल टीवी, डीटीएच तथा रेडियो प्रसारण से संबंधित प्रमुख मानकों एवं वृद्धि प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है, जो मुख्यतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा ने 18 नवंबर 2025 को 299 प्रसारकों को विज्ञापन अवधि से संबंधित सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2012 (संशोधित 2013) तथा 5 अगस्त 2013 के भादूविप्रा आदेश के अनुपालन न किए जाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किए।

5. भादूविप्रा ने 3 नवंबर 2025 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के ऑडिट हेतु ऑडिटर्स के पैनल को अद्यतन करते हुए मैसर्स एस. एम. सैनी एंड एसोसिएट्स, मैसर्स नितिन मित्तल एंड कंपनी, मैसर्स एसजीसीओ एंड कंपनी तथा मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को पैनल से हटा दिया।30 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, पैनल किए गए ऑडिटर्स की कुल संख्या 39 है।

6. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने भादूविप्रा–आरबीआई डिजिटल सहमति अधिग्रहण (DCA) कार्यक्रम के अंतर्गत एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रचारात्मक संचार के लिए सहमति प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना है, जिसकी शुरुआत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा चयनित उपभोक्ताओं को भेजी जाने वाली एसएमएस सूचनाओं से की गई है। इस पायलट परियोजना में नौ (09) दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा ग्यारह (11) प्रमुख बैंक शामिल हैं, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी पूर्व में दी गई सहमतियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने एवं निरस्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक सहमति प्रणालियों में सुधार करना तथा भविष्य में व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन हेतु एकीकृत डिजिटल सहमति प्लेटफॉर्म का परीक्षण करना है।

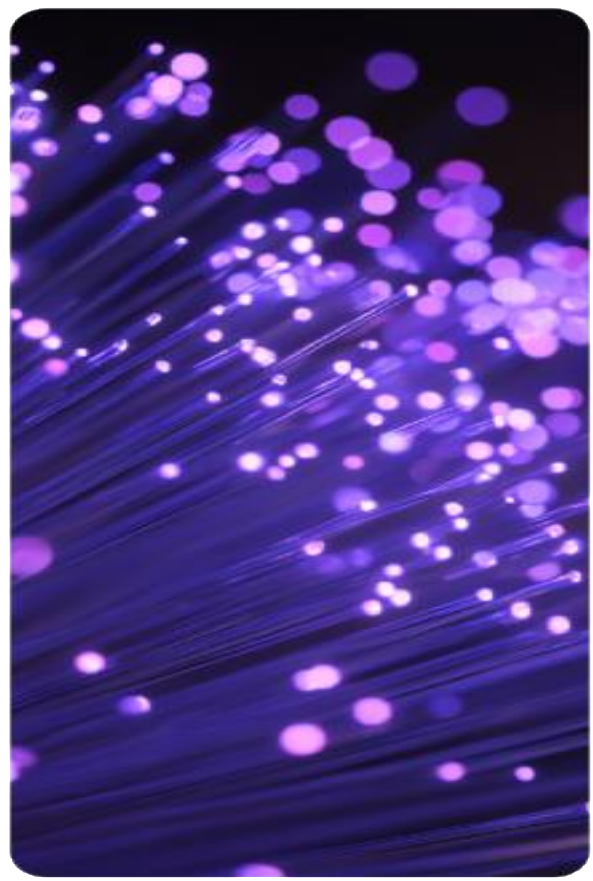

Full details of the Directions/Orders/Consultation Paper/Report, Subscription Data, etc. mentioned in this newsletter are available on

We are also on Facebook! Join us!
https://www.facebook.com/TRAI/

TRAI's website
www.trai.gov.in

We are also on Twitter! Follow us!
TRAI@TRAI

भादूविप्रा
TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

Telecom Regulatory Authority of India

4th to 7th Floor, Tower - F
World Trade Centre
Nauroji Nagar, New Delhi (India) - 110029